| **IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS DABHRA, DISTRICT- JANJGIR CHAMPA (C.G.)**<br>Presiding Officer : Smt. Smita Shrivastava Sinha Judge | |
|---|---|
| [Date of Judgement : **06.09.2024**]<br>[Case No.: **574/2022**]<br>(Crime Number **363/2022**, Police Station :Dabhara, District - Janjgir Champa, CG) | |
| Complainant | State of Chhattisgarh |
| Represented By | Shri Indraneel Kant Unjan (A.D.P.O.) |
| Accused | Budeshwar S/o. Shri Rohidas, aged about 35years, R/o.-Village Kaudiya, Police Station - Dabhara, District – Janjgir Champa, Chhattisgarh |
| Represented By | Shri Santosh Chandra Advocate |

**FORM - E**

| | |
|---|---|
| **Date of offence** | 19.09.2022 |
| **Date of FIR** | 19.09.2022 |
| **Date of Charge sheet** | 19.10.2022 |
| **Date of framing of charges** | 19.10.2022 |
| **Date of commencement of Evidence** | 03.12.2022 |
| **Date on which judgement is reserved** | 06.09.2024 |
| **Date of the judgement** | 06.09.2024 |
| **Date of the Sentencing Order, if any** | x |

**Accused Details:**

| **Ran** | **Name of** | **Date of** | **Date of** | **Offence** | **Whether** | **Sentence** | **Period of** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **k of the accused** | **the accused** | **arrest** | **release on bail** | **charged with** | **acquitted or convicted** | **imposed** | **detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bud esh war | 19.09.2022 | - | 34(1)K CG Excise Act, 1915 | Acquitted | x | X |

**FORM - F**

**Index**


| S.No. | Description | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | Heading of Judgment | 1-2 |
| 2 | Appearance of Advocates | 3 |
| 3 | Charge | 3 |
| 4 | Admitted Facts | x |
| 5 | Prosecution Story | 3-5 |
| 6 | ---------- | x |
| 7 | ---------- | x |
| 8 | Reasons and findings | 5-7 |
| 9 | Sentence | x |
| 10 | Period of Detention & Set-Off | x |
| 11 | Disposal of Property | 8 |
| 12 | Order of Compensation | x |
| 13 | Certificate under section 428 CrPC | 9 |
| 14 | Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment or Fine) | x |
| 15 | Copy of Judgment | 1-9 |

Criminal Case Number **574/2022**
State of CG **Vs.** Budeshwar
CNR Number **CGJC080006782022**

---

**राज्य द्वारा श्री इंद्रनीलकांत उंजन ए.डी.पी.ओ.।**
**अभियुक्त द्वारा श्री संतोष कुमार चन्द्रा अधिवक्ता।**

---

**-:: निर्णय ::-**

(आज दिनाँक 06.09.2024 को घोषित)

---

1. अभियुक्त के विरूद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)क के तहत यह अभियोग है कि उसने दिनाँक 19.09.2022 को समय 10.30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र चन्द्रपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ क्षेत्रांतर्गत स्थान ग्राम कौडिया स्थित नहर पार के पास में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में एक-एक लीटर क्षमता वाली दो बाटल में भरी 2 लीटर हाथ भट्ठी शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नही है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनाँक 19.09.2022 को उप निरीक्षक विरेन्द्र मनहर ने मौके पर ही गवाहों के समक्ष अभियुक्त के कब्जे से एक-एक लीटर क्षमता वाली दो बाटल में भरी 2 लीटर हाथ भट्ठी शराब को बरामद किया गया।

मौके पर ही बरामदशुदा संपत्ति को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क का अपराध सबूत पाये जाने पर उक्त धारा के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त सूचना पर अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया तथा शेष कार्यवाही उपरान्त परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)क के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनने से उक्त धारा के तहत् आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए जाने पर अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण किए जाने की माँग की।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयँ को निर्दोष होना और बचाव साक्ष्य नही देना व्यक्त किया।

6. <u>प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है:-</u>

<u>क्या अभियुक्त ने दिनाँक 19.09.2022 को समय 10.30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र चन्द्रपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ क्षेत्रांतर्गत स्थान कौडिया नहर पार के पास में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई</u>

अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन एक-एक लीटर क्षमता वाली दो बाटल में भरी 2 लीटर हाथ भट्ठी शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा?

**-:: साक्ष्य की विवेचना एवँ सकारण निष्कर्ष ::-**

**उक्त विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवँ सकारण निष्कर्षः-**

7. अभियोजन कथानक अनुसार प्रकरण में अभियोजन को यह प्रमाणित करना है कि घटना दिनाँक को अभियुक्त ने अपने कब्जे में 2 लीटर महुआ शराब को अवैध रुप से रखा था, अभियोजन कथानक अनुसार अन्वेषण अधिकारी विरेन्द्र मनहर के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही साक्षी सहसराम (अ.सा.1) तथा सूरतलाल (अ.सा.2) के समक्ष कराया जाना बताया गया है।

8. प्रकरण में उक्त दोनों ही स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अभियोजन द्वारा की गई मुखबीर सूचना पंचनामा प्र.पी.1, धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी.2, जप्ती पत्रक प्र.पी.3 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.4 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न किये जाने पर इस सुझाव से विशिष्ट रुप से इंकार किया गया है घटना दिनाँक को अभियुक्त से एक-एक लीटर क्षमता वाली दो बाटल में भरी 2 लीटर हाथ भट्ठी शराब को पुलिस वाले द्वारा जप्त की गई थी। जबकि अभियोजन को यह प्रमाणित करना था कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनाँक को कथित शराब अवैध रुप से अपने कब्जे में बिक्री हेतु रखी गई थी। प्रकरण में जप्तशुदा द्रव अभियुक्त के एकल

आधिपत्य से जप्त होने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य का अभाव है। प्रकरण में अभिलेख भी इस संबंध में भी कोई दस्तावेज नहीं है कि अनुसंधानकर्ता ने मौके पर जप्तशुदा द्रव को जप्त करने के दौरान उसे माप तौल किया था ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो शराब की मात्रा बताई गई है कि वह अनुमान के आधार पर ही बताई गई है, यही माना जायेगा। प्रकरण में कथित जप्ती पत्र प्र.पी.3 में कथित द्रव को जप्त किये जाने उपरांत सीलबंद करने संबंधी नमूना सील भी अंकित न होना दर्शित है, जबकि अभियोजन को यही प्रमाणित करना था कि जिस द्रव की अभियुक्त से जप्ती की गई, उसी का परीक्षण प्रकरण में कराया गया। अतः अभियोजन इस प्रकरण में उपरोक्त सभी तथ्यों को प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है।

9. प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने हेतु अभियोजन का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि यह संदेह से परे प्रमाणित करे कि जिस पदार्थ की परीक्षा की गई है वह अभियुक्त से विधि के उपबंधों के अधीन जप्त किया गया था किंतु अभियोजन इस प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है। अनुसंधानकर्ता ने संपूर्ण कार्यवाही के दौरान साक्षी सरसराम एवं सूरतलाल साक्षी के रुप में चुना है, जोकि अन्वेषण कार्यवाही को संदेहास्पद बनाता है।

10. इस प्रकार अभिलेख में विद्यमान सामग्री से अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान कार्यवाही के दौरान निष्पादित सुसंगत दस्तावेजों की साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है। परिणामस्वरुप अभिलेख पर मौजूदा उक्त परिस्थितियां अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाती है।

11. अतः अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की विवेचना उपरांत अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल पाया जाता है कि अभियुक्त ने दिनाँक 19.09.2022 को समय 10.30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र डभरा, जिला-जांजगीर चांपा वर्तमान जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान कौडिया नहर पार के पास में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में एक-एक लीटर क्षमता वाली दो बाटल में भरी 2 लीटर हाथ भट्ठी शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। अतः अभियुक्त को धारा 34(1)क छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुये **दोषमुक्त** किया जाता है।

12. अभियुक्त बुदेश्वर खुंटे के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके धारा 437(क) द.प्र.सं. के उपबंधों के अधीन निर्णय दिनाँक से 6 माह की अवधि तक प्रभावशील के आदेश के अधीन उन्मुक्त किए जाते हैं।

13. प्रकरण मे जप्तशुदा एक-एक लीटर क्षमता वाली दो बाटल में भरी 2 लीटर हाथ भट्ठी शराब को विधिक दृष्टि से मूल्यहीन एवं अनुपयोगी होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में विधिवत नष्ट किया जावें। अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन होगा।

14. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि बाबत् धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण-पत्र तैयार किया गया जो कि निर्णय का भाग होगा।

15. निर्णय की प्रति अभियोजन का प्रदान की जावें।

**निर्णय दिनाँकित एवँ हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।**

**सही/-**
**(श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा**
**जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)**

**मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।**

**सही/-**
**(श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा**
**जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)**

स्थान: डभरा
दिनाँक: 06.09.2024

Criminal Case Number **574/2022**

State of CG **Vs.** Budeshwar

CNR Number **CGJC080006782022**

## अभियुक्त द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र
## (अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **अभियुक्त का नाम** | - | बुदेश्वर खुंटे पिता रोहीदास खुंटे |
| 2. | **गिरफ्तारी दिनाँक** | - | 19.09.2022 |
| 3. | **जमानत दिनाँक** | - | निरंक |
| 4. | **पुलिस अभिरक्षा** | - | निरंक |
| 5. | **न्यायिक अभिरक्षा अवधि** | - | निरंक |
| 6. | **धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत दी गई छूट की पात्रता** | - | निरंक |

स्थान: डभरा
दिनाँक: 06.09.2024

**सही/-**
**(श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा**
**जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)**